28/11/17 - वकील तर्फ उप/अनुविभागीय अ० नहीं पश्चिम तर्फ अनुविभागीय की पुनः तलबी के तलबाना पैरा को पत्रावली पाक तलबी अनुविभागीय दि० 8/1/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

8/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। आ साहब राजकार्य से बाहर/व्यस्त है। गत आदेशानुसार दिनांक 21/1/18 को पेश है

21/1/18 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकैन उपस्थित। आज बार द्वारा कन्डोलेन्स रखी है। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 7/3/18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

3/3/18 - आज मह पत्रावली दायरा लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट कीमत "नगर पालिका बाड़" मुकाम धमाणा पर पेश हुई। वादी एवं तरफैन द्वारा प्रा० पत्र के पत्रावली को विधिवत करना तामील हो चुका है अतः मूल वाद के निस्तारण तक तर्फ एवं अनुविभाग को अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः उक्त प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधि०-1955 को स्वीकार किया जाकर तर्फ एवं अनुविभाग को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी ख०नं० 1050 रकबा 0.0800 है० बाबत ग्राम धमाणा तह० मोजमाबाद की मौका एवं स्थिति की यथास्थिति बनाए रखें एवं इसे कब्जा-काश्त के संबंधित नहीं करें अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द रहें। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर बाबत के रखा है।